107 214

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म0प्र0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA TWENTY RUPEES
विलोपित/विलोपित
Rs. 20/-

R-4166-III/14

800 19.11.14

1. काशीराम साहू तनय श्री जगन्नाथ तेली
2. हंशलाल तेली तनय काशीराम तेली
3. सखाराम तेली तनय काशीराम तेली
4. हीरालाल तेली तनय काशीराम तेली
5. रामसुचित तेली तनय काशीराम तेली
6. लल्लाराम तेली तनय काशीराम तेली सभी निवासी ग्राम मेढ़ौली तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 ----**निगरानीकर्तागण**

बनाम्

शासन म0प्र0 द्वारा कलेक्टर सिंगरौली जि. सिंगरौली (म.प्र.) --**गैर निगरानीकर्ता**

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण कमांक 01/निगरानी/2013-14 आदेश दिनांक 18.03.14

सत्येन्द्र सिंह परिहार 19.11.14
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3861
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ____ को प्राप्त
4-12-14
ऑफिस कोर्ट
... म प्र ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है:-

1. यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता कमांक-1 काशीराम तनय जगन्नाथ तेली के नाम ग्राम मेढ़ौली, तहसील सिंगरौली की शासकीय भूमि

XXXIX(a)-BR(H)-11

(107)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–4166-III / 14** जिला–सिंगरौली

काशीराम साहू / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सतेन्द्र सिंह परिहार उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 01 / निग0 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	